संख्या-202/2016/1135/22-2-2016-17(281)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम पुत्र श्री बाबूराम निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21431/पर-3(एम-22-06-2016) दिनांक-20-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में क्रिमिनल रिट याचिका सं0-148/2015 श्याम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त याचिका को क्रिमिलन रिट याचिका सं0-146/15 रविन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 द्वारा यह आदेश दिये गये है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जाय तथा यदि तीन माह के भीतर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा बन्दी की रिहाई पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो याची/बन्दी मा0 न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है। मा0 न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश के साथ याचिका निस्तारित कर दी गयी है। उक्त याचिका सं0-146/2015 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 का संगत अंश निम्नवत उद्धृत है:-

..... In these circumstances, we direct the Competent Authority to decide the aforesaid representation within three months from today. In case, the representation/petition is not decided within the said period, it would be open to the petitioner to move an application for grant of bail in the instant petition.

The writ petition is disposed of accordingly. .....

x x x x x x x x

W.P. (Crl.) No. 148/2015

The writ petition is disposed of in identical terms as stated above in W.P.(Crl.) No.(s). 146/2015.

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 20.07.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम पुत्र श्री बाबूराम, निवासी-मिर्जापुर, थाना-अवागढ़, जनपद-एटा का रहने वाला है। राज्य सरकार द्वारा कुआं बनवाने की स्वीकृति हुई थी जिसे दोनों पक्ष अपने-अपने घर के पास बनवाना चाहते थे। अन्ततः कुआं मेघ सिंह और गोपाल के घर के सामने बना। इसी विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.06.1979 को प्रातः लगभग 11:30 बजें बन्दूक एवं रायफल से गोली मारकर गोपाल की हत्या कर दी एवं मेघ सिंह को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा दिनांक 19.01.1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30-05-2016 तक 17 वर्ष 01 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, भविष्य मे अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी के परिवार की आथिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु अच्छी नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं रायफल से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या एवं एक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 65 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी श्याम पुत्र श्री बाबूराम को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.02.2016 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्याम (बन्दी संख्या-13041) पुत्र श्री बाबूराम निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-202/2016/1135(1)/22-2-2016 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-202/2016/1135@22-2-2016-17(281)/2016

दिनांक 17 *अक्टूबर*, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम पुत्र श्री बाबूराम, निवासी-मिर्जापुर, थाना-अवागढ़, जनपद-एटा का रहने वाला है। राज्य सरकार द्वारा कुआं बनवाने की स्वीकृति हुई थी जिसे दोनों पक्ष अपने-अपने घर के पास बनवाना चाहते थे। अन्ततः कुआं मेघ सिंह और गोपाल के घर के सामने बना। इसी विवाद के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.06.1979 को प्रातः लगभग 11:30 बजें बन्दूक एवं रायफल से गोली मारकर गोपाल की हत्या कर दी एवं मेघ सिंह को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-618/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा दिनांक 19.01.1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30-05-2016 तक 17 वर्ष 01 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, भविष्य मे अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु अच्छी नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं रायफल से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या एवं एक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 65 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्याम पुत्र श्री बाबूराम को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in